22

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

[illegible]मा नम्बर 90/2021 दायर दिनांक–28–06–2018

1 हरलाल पुत्र उदा जाति मेघवंशी
2 लालचन्द पुत्र फूलचन्द जाति मेघवंशी
3 सुरेश पुत्र मोती जाति गुसाई
4 जगदीश पुत्र मोती जाति गुसाई
5 बजरंग पुत्र मोती जाति गुसाई
निवासीगण गुसाई की ढाणी तन् कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

– आवेदकगण

बनाम

1. श्रीचन्द पुत्र
2. छोटेलाल पुत्र महावीर
3. धनेश पुत्र महावीर
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र मामराज
5. प्रहलाद पुत्र महावीर
6. रतीराम पुत्र खांगा
7. श्रवण पुत्र महावीर
8. शिशपाल पुत्र महावीर
9. सुनील कुमार पुत्र मामराज
10. सहीराम पुत्र खांगा
   समस्त जाति जाट निवासीगण जयसिंहपुरा तन् बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।
12. शाखा प्रबन्ध बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।

.....अनावेदकगण

13. भंवरी पुत्री मोती
14. संजू पुत्री मोती
15. मोहनी पत्नी मोती
   जाति गुसाई निवासी गुसाई की ढाणी, कारी तहसीलनवलगढ जिला झुन्झुनूं।

.....प्रफार्मा डिफेन्डेड

वकील आवेदक : – श्री राजीव सिंह शेखावत
वकील अनावेदक. :– श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया

प्रार्थना–पत्र : अस्थाई निषे[illegible]

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक– 26.08.2022

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम गुस[illegible] ढाणी पटवार हल्का कारी तहसील नवलगढ की तन् में भूमि खाता संख्या 16[illegible] अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर [illegible]/29 रकबा 1.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1978/70 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 रकबा 1.1000 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.0900 हैक्टर व भूमि खाता संख्या 108 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2071/32 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नम्बर 2075/33 रकबा 0.6900 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0000 हैक्टर स्थित है, जिसके खातेदार काश्तकार आवेदकगण व अनावेदकगण संख्या 13 लगायत 15 है और काबिज काश्त है तथा

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

में अपनी उपरोक्त भूमि पर फसल काश्त कर शांतिपूर्वक काबिज व आबाद है। राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बडवासी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 205, 207, 208, 214, 215, 219, 296/216 कुल किता 7 रकबा 3.5700 हैक्टर व खसरा नम्बर 216, 225, 226, कुल किता 3 कुल रकबा 1.7800 हैक्टर स्थित है जो आवेदकगण संख्या 1 लगायत 10 की खातेदारी की भूमि है। जिसे आगे प्रार्थना-पत्र में विवादित भूमि के नाम से अंकित किया गया है।

विवादित भूमि आवेदकगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसके कब्जे काश्त व खातेदारी बाबत कोई विवाद नहीं है तथा मौके पर आवेदकगण शांति पूर्वक रूप से काबिज है और अपनी फसल काश्त कर रहे है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 10 पडौसी गांव जयसिंहपुरा के निवासी है और अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 10 की कृषि भूमि भी राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बडवासी की सरहद में स्थित है जिसमें आने-जाने के चार रास्ते मौजूद है, जिन पर ग्रेवल सड़क डाली जा चूकी है जो सरकारी खर्चे से डाली गई है, परन्तु अनावेदकगण के मन में बेईमानी पैदा हो गई और वह अपने कृषि भूमि में से सीधे ग्राम गुसाई की ढाणी में आने-जाने के लिये आवेदकगण की कृषि भूमि में से नया रास्ता निकालने पर आमादा है जिसके लिये प्रयासरत है। आवेदकगण की भूमि में कभी भी कोई रास्ता या पगडण्डी नहीं रहा है ना ही मौके पर आज कोई रास्ता चालू है परन्तु अनावेदकगण संख्या 1 से 10 ने अनावेदक संख्या 11 को मुगालते में रखकर एक झुठा प्रार्थना-पत्र अनावेदक संख्या 11 के समक्ष पेश कर आवेदकगण की भूमि की उत्तरी व पूर्वी सीमा के पास से काल्पनिक रास्ता बताकर नया रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे है जिसके लिये पटवारी हल्का कारी से भी साज कर एक गलत व झूठी काल्पनिक रिर्पोट पटवारी हल्का से तैयार करवा रखी है जिसके आधार पर आवेदकगण की कृषि भूमि को वेस्ट व डेमेज कर नया रास्ता निकालकर अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा है उक्त रिर्पोट व प्रार्थना-पत्र बाबत आवेदकगण को पहले कोई जानकारी नहीं थी परन्तु दिनांक 18.10.2021 को शाम को अनावेदकगण संख्या 11 के साथ मिलकर अनावेदकगण संख्या 1 लगयात 10 ने नाजायज रूप से रास्ता निकालने की कोशिश की परन्तु आवेदकगण के विरोध के कारण उक्त लोग सफल नहीं हो सके परन्तु जाते वक्त अनावेदकगण आवेदकगण को एलानिया धमकी देकर गये है कि हमारी राजनैतिक व प्रशासन में उपर तक पहूँच है जिसके आधार पर हम लठ के जोर से भी इस भूमि में से रास्ता निकाल सकते है और शीघ्र ही इस भूमि में से रास्ता निकालकर ग्रेवल सड़क डलवा देगें, आवेदकगण ने अपनी कृषि भूमि में मौके पर सरसो, चना आदि की फसल काश्त कर रखी है यदि अनावेदकगण अपनी नाजायज मंशा में सफल हो जावेगें तो आवेदकगण को इतना नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी रूप से सम्भव नहीं हो सकेगा, वादीगण की कृषि भूमि वेस्ट व डेमेज हो जायेगी, काबिल काश्त नहीं रहेगी जिससे आवेदकगण को काफी नुकशान होगा और मुकदमे बाजी बढेगी जिससे समय व धन की बर्बादी होगी, फसल की नुकशान के दावे करने पड़ेगे और फसल की वास्तविक नुकशानी का अंदाजा लगाया जाना सम्भव नहीं होगा, आवेदकगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है व अपनी कृषि भूमि पर काबिज है और फसल काश्त कर रखी है इसलिये आवेदकगण का प्रथम दृष्टया बहुत मजबुत मामला है और यदि आवेदकगण की भूमि में से नया रास्ता निकाला जाकर कृषि भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज कर दिया जाता है तो आवेदकगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, इसलिये सुविधा का सतुंलन भी आवेदकगण के पक्ष में है। इसलिये अनावेदकगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह आवेदकगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में से नाजायज रूप से लठ के बल पर कोई रास्ता कायम नहीं करे, भूमि को खुर्द बुर्द नही करे, आवेदकगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में कोई दखल नहीं करे, नया रास्ता कायम नहीं करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त कार्य ना तो स्वयं करे ना अपने एजेन्ट, नौकर रिश्तेदार आदि से करवाये। ऐसी हालत में आवेदकगण के लिये यह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

आवेदकगण को प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है यदि अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में किया जाना सम्भव नहीं होगा, इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में अनुतोष चाहा है कि अनावेदकगण को तादौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वे आवेदकगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ग्राम गुसाई की ढाणी पटवार हल्का कारी तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खाता संख्या 165 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1946/29 रकबा 1.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1948/70 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 रकबा 1.1000 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.0900 हैक्टर व भूमि खाता संख्या 108 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2071/32 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नम्बर 2075/33 रकबा 0.6900 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0000 हैक्टर भुमि में से नाजायज रूप से लठ के बल पर नया रास्ता कायम नही करे, भूमि को खुर्द बुर्द नही करे, वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में बाधा नही पहुंचावे, नया रास्ता कायम नहीं करे, व वर्तमान में खड़ी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाये, तथा आवेदकगण की खातेदारी की भूमि में कोई व्यवधान कारीत नही करें, आवेदकगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा नहीं पहुचावे, उक्त कार्य ना तो स्वयं करे या अपने नौकर चाकर, रिश्तेदार आदि से करवावे मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदगण संख्या 1, 4, 6, 10 की ओर से वकील श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया उपस्थित न्यायालय हुये तथा अनावेदकगण संख्या 2, 3, 5, 7 व 8 की ओर हिदायत पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री किशोर कुमार ने अण्डरटेंकिग प्रस्तुत की गई। तद्पश्चात आगामी नियत पेशी दिनांक 17.08.2022 को इनकी ओर कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदकगण संख्या 1, 4, 6, 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि खातेदारान की खातेदारी के संबंध में कोई विवाद नही है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को विवादित भूमि को गलत सम्बोधित किया गया है। खातेदारी की भूमि व खातेदारान का कोई विवाद नही है बल्कि आवेदकगण कदीमी रास्ते को बन्द करना चाहते है। यह तथ्य निहायत गलत दर्ज किया है कि अनावेदक संख्या 1 लगायत 10 की कृषि भूमि में आने जाने के लिये चार रास्ते मौजूद हो एंव जिन पर ग्रेवल सड़क पड़ी हुई हो। यह तथ्य गलत दर्ज किया है कि अनावेदकगण के मन में बेईमानी आ गई *हो ओर सीधे गुसाई की ढाणी में आने जाने के लिये नया रास्ता निकालने पर आमादा हो बल्कि हमेशा के कदीमी रास्ते को आवेदकगण ने बन्द कर दिया है जिसको स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये बन्द रखने हेतु उक्त झुंठे तथ्य दर्ज कर वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह तथ्य अस्वीकार है कि मौके पर रास्ता चालू नही हो। आवेदकगण द्वारा कदीमी रास्ते को बन्द करने पर प्रार्थना पत्र रास्ता खुलवाने हेतु पेश किया गया था जिस पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके की जॉच करके कदीमी प्रचलन के रास्ते को आवेदकगण द्वारा बन्द पाये जाने पर अं. धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कार्यवाही करते हुये तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा रास्ता खोले जाने के आदेश किये गये है उक्त मद में शेष तथ्य बनावटी व मनगढ़त दर्ज किये गये है। यह तथ्य गलत गलत दर्ज किया है कि आवेदकगण के खेत में जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते हो तथा ग्रेवल सड़क डाल रहे हो बल्कि खसरा नम्बर 2074/33 2075/33 1974/29 व 1946/29 के सीमा-सीमा होकर कदीमी रास्ता हमेशा से रहा है जो दो राजस्व ग्रामों को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है जो पीढ़ियों से चालु कदीमी रास्ता हैं। उक्त रास्ता के संबंध मे आवेदकगण का ना तो कोई प्रथम दृष्टया मामला है तथा ना ही सुविधा का सतुलन आवेदकगण के पक्ष में तथा ना ही किसी प्रकार की कोई क्षति आवेदकगण को होने की संभावना है। आवेदकगण की किसी भी कृषि भूमि को [illegible] नहीं किया जा रहा है पुराने कदीमी आम जनता के सुखाधिकार के रास्ते को बन्द रखने की यथास्थिति बनाये रखने बाबत न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है। आवेदकगण [illegible] मामला है तथा ना ही सुविधा का सतुलन आवेदकगण के पक्ष में है ओर ना ही आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होन की संभावना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरोक्तर

आवेदकगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पुराने कदीमी प्रचलन के रास्ते को रूकवाये जाने में न्यायालय को गलत रूप से गलत कार्य हेतु सहायता लिये जाने बाबत पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

तहसीलदार नवलगढ़ व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा मौके की यथास्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 2074/33 2075/33 1947/29 व 1946/29 की सीमा–सीमा होकर रास्ता है जो दो राजस्व ग्रामो को जोड़ता है। उक्त रास्ता ग्राम गुसाई की ढाणी से ढाका का बास (निवाई) में जाता है। तथा आगे मुकुन्दगढ तक जाता है। उक्त रास्ता आम जनता व अनावेदकगण के काम आने वाला बहुत पुराना कदीमी रास्ता है जो पीढ़ियो से रास्ता है। उक्त रास्ता हमेशा से चालू था परन्तु अब आवेदकगण द्वारा बन्द किये जाने पर तहसीलदार नवलगढ के यहां प्रार्थना पत्र अं. धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया जाकर जॉच करवाई जाकर निर्णय पारित कर रास्ता को खोल दिये जाने का आदेश किया गया है परन्तु गलत तथ्यों के आधार पर उक्त झूंठा दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

प्रचलन के रास्ते बाबत सुनवाई का क्षैत्राधिकार तहसीलदार को अं. धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राप्त है तथा सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र पेश करके सक्षम न्यायालय अधिकारी के निर्णय को प्रभावित किये जाने का वाद पेश नही किया जा सकता इसलिए उक्त वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। यदि तहसीलदार द्वारा पारित अं. धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय से आवेदकगण संतुष्ट नही है तो उन्हे सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए।

उपरोक्त वाद/प्रार्थना पत्र बिना क्षैत्राधिकार के न्यायालय को मुगालते में रखते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावें।

जवाब देही पेश होने बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति की तथा कथन किया गया कि प्रकरण में मौका कमीशनर रिपोर्ट प्राप्त है जिसमें पर मौके पर कोई रास्ता नही होना अंकित किया गया तथा ना ही कभी मौके पर रास्ता रहा है। ग्राम जयसिंहपुरा जाने हेतु चार रास्ते मौजूद है। नया रास्ता कायम नही किया जावे। कृषि भूमि में तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर ही रास्ते की प्रभावी कार्यवाही की जावे। तहसीलदार नवलगढ द्वारा न्यायालय को स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए रास्ते के आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत पारित कर दिया है जिसकी अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर के यहां विचाराधीन है। अतः ता दौराने दावा आवेदक की भूमि को वेस्ट व डैमेज नही करे तथा कोई नया रास्ता कायम नही किया जावे।

वकील अनावेदक ने बहस वकील आवेदक का विरोध प्रकट करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराय तथा कथन किया कि वादी ने रास्ते को बंद करने की मंशा से दावा पेश किया गया है। विवादित भूमि में रास्ता कदीमी है जो दो गांवो को जोड़ते हो है जो मोके पर चालू प्रचलित रास्ता है जिस पर ग्रेवल बनाने लग तो दावा कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ के यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया जिसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर एवं खातेदारो के बयान लिये जाकर निर्णय किया गया है। सुखाधिकार का क्षैत्राधिकार तहसीलदार नवलगढ को है। रास्ते के संबंध में निर्णय की क्रियान्विति को न्यायालय द्वारा रोका नही जा सकता हैं रास्ता निकाले या न निकाले न्यायालय की आड़ में प्रचलित रास्ते को बंद किया है। प्रचलित रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के निर्णयों से साबित पाया गया है। न्यायालय रास्ते को बंद करने का आदेश नही दे सकता है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावे। वकील अनावेदक ने [illegible] न्यायिक दृष्टांत RRD 1996 Page 109, RRD 1984 Page 584 पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

जवाब में वकील आवेदक ने अनावेदक की [illegible] कथन किया गया कि प्रकरण में न्यायालय में लम्बित था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा धारा 251 [illegible] काश्तकारी अधिनियम का निर्णय बाला बाला कर दिया जो स्थगन आदेश के पश्चात किया गया हैं। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे तथा स्थगन आदेश को कंफर्म किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस एवं प्रस्तुत नजीर पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

ए.सी.ई.एम. (अ.त्रे.)
नवलगढ

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है। प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम गुसाई की ढाणी पटवार हल्का कारी की तन में भूमि खाता संख्या 165 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1946/29, 1948/70, 77 रकबा क्रमशः 1.87, 0.12, 1.10 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 3.09 हैक्टर तथा खाता संख्या 108 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2071/32, 2075/33 रकबा क्रमशः 0.31, 0.69 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.00 हैक्टर की खातेदारी आवेदकगण एवं अनावेदकगण संख्या 13 लगायत 15 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार नवलगढ की मौका रिपोर्ट में मौके की वास्तविक स्थिति दर्शायी है जिसमें मौके पर फसल खडी है। आवेदकगण की उपरोक्त वर्णित आराजी में कभी कोई रास्ता प्रचलन में नहीं था, जब रास्ता कभी रहा ही नहीं तो उसे नाजायज रूप से बंद करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, उक्त रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार नवलगढ के यहां अं. धारा 251 राज.का.अधि. में प्रकरण दर्ज करवा कर उक्त प्रकरण में तहसीलदार महोदय के यहां स्थगन आदेश जारी करने की आदेशिका व सत्यप्रतिलिपि पेश करने के बावजूद तहसीलदार द्वारा दिनांक 06.12.2021 को आदेश पारित किया गया है जबकि अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 11.11.2021 को पूर्व में जारी हो चुका था। तहसीलदार नवलगढ के निर्णय दिनांक 06.12.2021 की अपील विचाराधीन होना अंकित किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय हाजा द्वारा मौका कमिशनर रिपोर्ट मंगवाए जाने पर कार्यालय तहसीलदार नवलगढ द्वारा दिनांक 17.01.2022 को मौका जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें वर्णित भूमि पर रास्ते का अस्तित्व कभी नही मानते हुए मौके पर फसल काश्त दर्शायी गयी वहीं दूसरी ओर इसी के के संबंध में तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 251 में प्रकरण दर्ज कर निर्णय किया गया। उक्तानुसार तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा न्यायालय हाजा में प्रकरण विचाराधीन एवं स्थगन आदेश प्रभावी रहते निर्णय किया जाना विरोधाभाषी स्थिति को प्रकट करता है। यह निर्विवादित है कि विवादित भूमि कब्जे काश्त का कोई विवाद नही है। प्रकरण का निस्तारण उभय पक्ष के साक्ष्य आने पर होना है। चूंकि मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नही है तथा आवेदकगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज है और फसल काश्त कर रखी है इसलिये आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष में बनता है और यदि आवेदकगण की भूमि में से नया रास्ता निकाला जाकर कृषि भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज कर दिया जाता है तो आवेदकगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, इसलिये सुविधा का सतुंलन भी आवेदकगण के पक्ष में है। अतः आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन होना प्रमाणित होता है।

अपूरणीय क्षति :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष है तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति घटित होना प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है व राजस्व ग्राम गुसाई की ढाणी की सरहद में नई खाता संख्या 165 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1946/29, 1948/70, 77 रकबा क्रमशः 1.87, 0.12, 1.10 हैक्टर कुल [illegible] 3.09 हैक्टर तथा खाता संख्या 108 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2071/32, 20[illegible] रकबा [illegible] 0.69 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.00 हैक्टर भूमि के मोके की यथास्थिति बनाई [illegible] निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 11.11.2021 को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फसल सुमार [illegible] नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मू[illegible]वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक [illegible].08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर (आ.प्र.से.))
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested